फारम सं0-563

आदेश क्रम कार्रवाई टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री संतोष वर्मा पिता स्व0 परमेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-जोको, थाना नं0-72, खाता संख्या-114, प्लॉट संख्या-542 एवं 574, रकवा क्रमशः 0.24 एकड़ एवं 0.08 एकड़ कुल रकवा 0.32 एकड़ (32 डिसमिल) (बत्तीस डिसमिल) भूमि धानेश्वर राम पिता स्व0 जुगल राम, निवास स्थान ग्राम-कुठान, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-82/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1266/रा0 दिनांक 30.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, केरेडारी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, केरेडारी के पत्रांक 167 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि दुखन कहार वल्द बुधन कहार के नाम से खतियान दर्ज है तथा आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार आवेदित प्लॉट-542, रकवा 0.95 एकड़ किस्म परती कदीम एवं प्लॉट संख्या-574, रकवा-0.66 एकड़ जमीन परती कदीम है। खतियानी रैयत दुखन कहार वल्द बुधन कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.51 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.51 एकड़ भूमि है। मौजा-जोको, थाना संख्या-72, खाता संख्या-114 भगन कहार के नाम से पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-113/I में कुल रकवा 3.51 एकड़ का जमाबंदी दर्ज है तथा ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक खतियानी रैयत के परपोता एवं जमाबंदी रैयत के पोता हैं। आवेदक के हिस्से में रकवा 3.51 एकड़ मधे रकवा 0.8775 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास अन्य खाता संख्या-08, 04 एवं 114 का सम्मिलात रकवा 1.1475 एकड़ भूमि शेष रह

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश [illegible] कार्रवाई [illegible] टिप्पणी [illegible]
1	2	

जाता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। BLR Act, Section-4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, केरेडारी के अनुशंसा के आलोक में श्री संतोष वर्मा पिता स्व0 परमेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-जोको, थाना नं0-72, खाता संख्या-114, प्लॉट संख्या-542 एवं 574, रकवा क्रमशः 0.24 एकड़ एवं 0.08 एकड़ कुल रकवा 0.32 एकड़ (32 डिसमिल) (बत्तीस डिसमिल) भूमि धानेश्वर राम पिता स्व0 जुगल राम, निवास स्थान ग्राम-कुठान, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] [illegible]/10/22

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

[signature]

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.10.26 16:40:31 +05:30
Location: 192.168.100.2